सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/SER-1070/DL/52/2023-SSW

Dated: 16/07/2024

To,

Prof (Dr) Radhika Bakhshi,
Director,
Institute of Home Economics,
University of Delhi,
New Delhi – 110016
(Phone No. – 46018108)

Sub: अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विभागीय पदोन्नति पद को सीधी भर्ती से भरे जाने के संबंध में - श्री अब्दुल अजीज, प्रयोगशाला परिचर, Institute of Home Economics (University of Delhi), नई दिल्ली का दिनांक 20.03.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय,

I am directed to enclosed herewith copy of the minutes of Sitting held under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 27.06.2024 at 11:00 AM in NCST, New Delhi on the above mentioned subject for information.

It is requested that action taken/ to be taken in the matter may be submitted with stipulated time for placing it before the Hon'ble Member, NCST.

Yours faithfully,

RKVerma

(R.K. Verma)
Under Secretary to the Govt. of India
Ph No. 011-24641640

Copy to:-

Shri Abdul Azeez,
Institute of Home Economics (University of Delhi),
Hoj Khas Enclave,
New Delhi - 110016

Copy for information to:-

1. PS to Hon'ble Member (Dr. A.L), NCST
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

<u>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग</u>

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2024 को सुबह 11:00 बजे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ Institute of Home Economics (IHE), University of Delhi के प्रबंधन द्वारा पदोन्नति न देने के संबंध मे – श्री अब्दुल अज़ीज़, प्रयोगशाला परिचर, IHE के अभ्यावेदन दिनांक 20.03.2023 में उठाए गए बिन्दुओं पर आयोजित बैठक के कार्यवृत।

फ़ाइल: NCST/SER-1070/DL/52/2023-SSW
बैठक की तिथि : 27.06.2024, सुबह 11:00 बजे
प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक

श्री अब्दुल अजीज, प्रयोगशाला परिचर, Institute of Home Economics (University of Delhi), नई दिल्ली ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 20.03.2023 में बताया है की Institute of Home Economics (University of Delhi), नई दिल्ली द्वारा प्रयोगशाला सहायक पद को मनमाने ढंग से सीधी भर्ती द्वारा भरा गया है, जो कि अन्याय है I DoPT के नियमानुसार SC / ST का कर्मचारी फीडर कैडर में उपलब्ध है , तो उस विभागीय पदोन्नति के पद को सीधी भर्ती से नहीं भरा जा सकता । अतः, न्याय करने का कष्ट करें।

NCST ने सम-संख्यक नोटिस दिनांक 22.09.2023 द्वारा Director (Officiating), Institute Of Home Economics, University Of Delhi, नई दिल्ली को तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत करने का आग्रह किया। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स ने अपने पत्र दिनांक 13.10.2023 के माध्यम से बताया है कि "श्री अब्दुल अज़ीज को 23.07.2007 को सीधी भर्ती (एसटी श्रेणी) के अंतर्गत लैब अटेंडेंट के पद पर नियुक्त किया गया था। अन्य दो लैब सहायक (एसटी श्रेणी) की नियुक्ति के समय, श्री अब्दुल अज़ीज ने लैब अटेंडेंट के पद पर अपनी सेवा के केवल 05 महीने पूरे किए थे। एसटी श्रेणी के अंतर्गत लैब सहायक का उपरोक्त पद 5.06.2007 को विज्ञापित किया गया था, जो कि उनके इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में लैब अटेंडेंट के पद पर शामिल होने से पहले की बात है। चूंकि, उस समय एसटी श्रेणी के लिए कोई आंतरिक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था, इसलिए पद का विज्ञापन किया गया था। अन्य 02 एसटी श्रेणी के उम्मीदवार क्रमशः 13.08.2007 और 10.12.2007 को कॉलेज में शामिल हुए थे।"

आयोग ने पत्र दिनांक 08.11.2023 के माध्यम से Institute of Home Economics, University of Delhi के पत्र दिनांक 13.10.2023 को आवेदक को सूचना हेतु भेजा। आवेदक ने अपने पंत्र दिनांक 30.11.2023 के माध्यम से असंतुष्टि व्यक्त करते हुये न्याय की मांग की। प्रतिउत्तर को IHE को अग्रसारित किया गया जिसमे निवेदन किया गया कि प्रतिउत्तर में उठाए गए बिन्दुओं पर तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत करें। IHE ने पत्र दिनांक 08.04.2024 द्वारा पूर्व में दिये गए उत्तर का समर्थन किया।

आयोग ने इस प्रकरण पर 27.06.2024 को निदेशक, Institute of Home Economics और याचिकाकर्ता के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया, जिसकी सूचना Sitting नोटिस दिनांक 12.06.2024 द्वारा संबन्धित अधिकारी एवं आवेदक को दी गयी।

बैठक में निदेशक, Institute of Home Economics और आवेदक उपस्थित हुए । निदेशक ने अपनी पिछली बातें दोहराईं और कहा कि संस्थान ने सभी आरक्षण नियमों का पालन किया है तथा यह भी बताया कि आवेदक को वर्ष 2017 में MACP लाभ दिया गया है। आवेदक वर्तमान में सबसे वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचर है और 30 जून 2024 को एक अन्य कर्मचारी, जो कि प्रयोगशाला सहायक के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके उपरांत आवेदक के पदोन्नति हेतु अविलंब विचार किया जाएगा।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi